कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 878 /टी.ए.डी.एम./2017 इन्दौर, दिनांक 11 /04/2017

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

महाप्रबन्धक, म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, इन्दौर ने अपने पत्र क्रमांकः 837/तक/ग्रा.स./2017 दिनांक 04/04/2017 द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड सांवेर स्थित पलासिया से डकाच्या मार्ग, ए.बी. रोड़ से डकाच्या रोड़ व पलासिया से मंडलावदा रोड़ मार्गो को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित कराया गया । उक्त ग्रामीण सड़कों का निर्माण 08-10 टन भार वाहन क्षमता के वाहनों के परिवहन के हिसाब से डिजाईन की गई है किन्तु इन मार्गो पर इससे अधिक भार वाले वाहन/डम्परों के परिवहन किये जाने से मार्गो को क्षति पहुंच रही है, जिससे लोक न्यूसेंस उत्पन्न हो रहा है ।

अतः उपरोक्त अवांछनीय गतिविधियों को संचालित किये जाने से ग्रामीण आम जनों में रोष व्याप्त होकर भविष्य में इन कारणों से लोक न्यूसेंस होने की प्रबल आशंकाऐं व्याप्त हो रही है । अतः इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

अतः मैं पी. नरहरि, **जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-133 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित मार्गो विकास खण्ड सांवेर स्थित पलासिया से डकाच्या मार्ग, ए.बी. रोड़ से डकाच्या रोड़ व पलासिया से मंडलावदा रोड़, विकास खण्ड, सांवेर पर कोई भी वाहन जिसका कुल भार 08 टन से अधिक है, के परिवहन को प्रतिबंधित किया जाता है ।

चुंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा व सुनिश्चित पालन हेतु तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इसलिए इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है ।

उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा । यह आदेश दिनांक 11 /04/2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(पी. नरहरि)
जिला-दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate,
District-Indore (M.P.)